

FORM OF APPLICATION FOR SEEKING INFORMATION

I.D. No. -----

(For official use)

To,

The Information Officer,

माननीय निदेशक महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

- Name of the Applicant GOPIRAM AGRAWAL
- Address R.T.I. RESEARCH CENTER, BANSWARA (RAJ.)
- E- Mail Address gopiramagrawal@yahoo.co.in
- Mobile No. 9414102112
- Information Sought *
(Detail should include specific points for each information sought)

प्रार्थी ने आपके कार्यालय में दिनांक 16/4 /2016 को निम्नानुसार पत्र रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया था :-

राजस्थान ट्रायबल एरिया विकास समिति, बाँसवाड़ा (राज.)

सेवामें

माननीय निदेशक महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय :- (ii) Proposal to provide National Highways connectivity to backward areas/ religious/ tourist palaces of the country.

मान्यवर,

राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की उक्त योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के जनजाति क्षेत्र को देश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने हेतु प्रार्थी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को दिनांक 18.03.2016 को पत्र प्रेषित किया था। जिसमें निम्न मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की प्रार्थना की थी :-

- कीर की चौकी, सलूमबर, आसपुर, पालोदा, बागीदौरा, गढ़ी, कुशलगढ़, झाबुआ (मध्यप्रदेश) -268 कि.मी।
- नीचम (मध्यप्रदेश), प्रतापगढ़, धरियावाद, सावला, सागवाड़ा, सीमलवाड़ा, बालासिनोर, (गुजरात) किलोमीटर 326
- बांसवाड़ा, अस्थूना, कुशलकोट, गलियाकोट, सीमलवाड़ा, मोड़ासा, धनसूरा, माजरा (अहमदाबाद) 201 किलोमीटर

प्रार्थी के अनुरोध पर माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दिनांक 31.03.2016 को पत्रांक 97877 प्रेषित कर मुख्य अभियन्ता (एन.एच.) का निम्नानुसार निर्देश दिया था :-

विषय :- राजस्थान राज्य में 10 हजार किलोमीटर नये राष्ट्रीय राजमार्ग में चिन्हित करने हेतु केन्द्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को सूची प्रेषित कराये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत Shri Gopiram agrawal r.t.i. research center Banswara द्वारा दिनांक 18.03.2016 को प्रेषित पत्र संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान राज्य में 10 हजार किलोमीटर नये राष्ट्रीय राजमार्ग में तब्दील करने हेतु केन्द्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को सूची प्रेषित कराये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करावे। "

प्रार्थी ने उपरोक्त निर्देशानुसार माननीय मुख्य अभियन्ता (एन.एच.) को दिनांक 15.04.2016 को उक्त तीनों मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कराने हेतु अनुरोध किया था।

तीनों मार्गों का महत्व निम्न अनुसार है :-

- कीर की चौकी, सलूमबर, आसपुर, पालोदा, बागीदौरा, गढ़ी, कुशलगढ़, झाबुआ (मध्यप्रदेश)-268 कि.मी.

C/o C. R. Section (RTH)
Dairy No. 1198
Date 16/02/2016
20/01/2016

Scanned and
1. SE (P.6)
Dr. A.K. Pandey
2. SE (P.4)
Dr. Pankaj
Agarwal
3. Dr. Pankaj
Dr. Mayank

20/9
20/12/17

का हस शिथि कडु रमजळ नुम ०३ पणुतु ७५ दहा रुपये ७९ ७९। रम बुधटे दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य

NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS



PAY TO _____



सत्यमेव जयते

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।

SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE:

GOPIRAM AGARWAL
KUSHALBAGH PALACE
BANSWARA (RAJ) 327001
CELL No. 9414102112

AT THE POST OFFICE AT _____

के डाकघर में अदा करें।

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

35F 050450

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

பஞ்சா குபாள்

३४ रमजळ

०३ ०३ १५

पूरी रकम वसूल पायी
RECEIVED the full amount

पानेवाले के हस्ताक्षर PAYEE'S SIGNATURE

भारतीय डाकघर नियमावली के नियमों एवं शर्तों के अनुसार जारी
ISSUED SUBJECT TO THE RULES AND CONDITIONS IN THE IPO RULES.

वैधता जारी करने के महिने के अंतिम दिन से 24 महिने और वित्तिय कमिशन के भुगतान जारी करने के महिने की अंतिम दिन से 36 महिने।
Valid for 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.

प्र.मु.है / S.P.P.HYD

उपरोक्त मार्ग उदयपुर, चित्तोड़गढ़ एवं माण्डव (म.प्र.) पर्यटन केन्द्र को कम दूरी के राष्ट्रीय राजमार्ग से आपस में तथा राजस्थान एवं मध्यप्रदेश राज्य के रेलमार्ग से वंचित जनजाति क्षेत्र को देश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ता है।

2. नीचम (मध्यप्रदेश), प्रतापगढ़, धरियावाद, साबला, सागवाड़ा, सीमलवाड़ा, बालासिनोर, (गुजरात) किलोमीटर 326-

उपरोक्त मार्ग मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात राज्य के रेलमार्ग से वंचित जनजाति क्षेत्र को देश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ता है।

3. बांसवाड़ा, अरथूना, कुशलकोट, गलियाकोट, सीमलवाड़ा, मोड़ासा, धनसूरा, माजरा (अहमदाबाद) 201 किलोमीटर-

उपरोक्त मार्ग बोहरा सम्प्रदाय के प्रमुख तीर्थस्थल गलियाकोट को एवं राजस्थान एवं गुजरात राज्य के रेलमार्ग से वंचित जनजाति क्षेत्र को देश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ता है।

माननीय मुख्य अभियन्ता (एन.एच.) ने राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की *National Highways connectivity to backward areas/ religious/ tourist palaces of the country*. योजना का लाभ उपरोक्त तीनों मार्गों को अभी तक नहीं दिया है।

अतः प्रार्थना है कि तीनों मार्गों के महत्व की जांच कर तीनों मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कराने हेतु सहायता करें।

प्रार्थी,


दिनांक :- 16/ 9 /2016

स्थान :- बांसवाड़ा

.....
(गोपीराम अग्रवाल, अध्यक्ष)
मो.नंबर 9414102112

उक्त पत्र पर आपके कार्यालय में हुई कार्यवाही की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

- To the best of my knowledge the information sought does not fall within the restrictions contained in Section 8 and 9 of the Act and it pertains to your office.
- This to certify that I, GOPIRAM AGARWAL Son of Sh. HARIRAM AGARWAL am a citizen of India.
- A fee of Rs. 10/- has been deposited vide Postal Order
Place : Banswara,
Date 16/9 /2016


Signature of Applicant